विपणन समिति, चम्बा, जिला चम्बा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2015

भाग–एक

1 प्रस्तावना

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक 2005 की धारा 48(2) के प्रावधानों के दृष्टिगत, विपणन समिति चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 4/2011 से 3/2015 के लेखों का अंकेक्षण, इस विभाग द्वारा किया गया है।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा विपणन समिति चम्बा में सचिव एवं आहरण वितरण अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की गई ।

क्र0 सं0	सचिव एवं आहरण वितरण अधिकारी का नाम	कार्यकाल अवधि
1)	डा0 एस0के0 भमबोटा	1.4.2011 से 5.6.2011 तक
2)	श्री देश राज शर्मा	6.6.2011 से 26.6.2014 तक
3)	श्री आर0एल0 चौहान	27.6.2014 से 5.9.2014 तक
4)	श्री बी0एस0 भट्ट	6.9.2014 से 31.3.2015 तक

(ग) आय व व्यय के मुख्य साधन

विपणन समिति चम्बा की आय का मुख्य स्त्रोत, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 44 व हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 के नियम 35 के अन्तर्गत मण्डी समिति के लाईसैन्सधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क तथा धारा 75 के अन्तर्गत व्यापारियों से जुर्माना शुल्क, दुकानों का किराया, फार्म विक्रय से प्राप्त आय, जमा राशियों पर अर्जित ब्याज इत्यादि है। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति द्वारा मुख्यताः स्थापना, निर्माण कार्यों, कार्यालय पर व्यय, गाड़ी के रख–रखाव पर व्यय, प्रशिक्षण शिविरों इत्यादि पर व्यय किया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियतन) अधिनियम 2005 की धारा 49(3) के अन्तर्गत, कृषि उपज मण्डी समिति के अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत एकत्रित मण्डी शुल्क का 25 प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड को भेजा जाता है।

(घ) गम्भीर अनियमितताओं का सार

अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का विवरण निम्नलिखित है।

क्र0 सं0	विवरण	पैरा सं0	राशि लाखों में
1	दुकानों के किराये की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	6(क)	3.62
2	श्री पवन नरयाल को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए दण्ड की राशि की वसूली न करना और न ही दुकान खाली करवाने हेतु कार्यवाही किया जाना तथा श्री पवन नरयाल द्वारा किराये के रूप में जमा करवाये गए ₹0.20 लाख के चैक के Dishonour हो जाने पर भी कोई कार्यवाही न किया जाना	6(ख)	2.10
3	मार्किट कमेटी प्रशासन द्वारा आयकर आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष न रखने के कारण अतिरिक्त आयकर की राशि का भुगतान करना	7	6.13
4	मार्किट कमेटी द्वारा रसीद पुस्तकों से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है	10	विवरण पैरे में दिया गया है।

(ड़) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

विपणन समिति चम्बा के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के निपटारे हेतु बकाया पैरों का विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–''क''** पर संलग्न है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

विपणन समिति चम्बा के अवधि 4/2011 से 3/2015 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री अशोक कुमार सूद (सहायक नियन्त्रक) तथा श्री संदीप कमल (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 8.7.2015 से दिनांक 3.10.2015 के दौरान चम्बा में किया गया।

अंकेक्षण के दौरान आय तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित माह का चयन किया गया।

आय :— माह 12/2011, 1/2013, 9/2013 व 9/2014

व्यय :— माह 10/2011, 2/2013, 3/2014 व 10/2014

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को सचिव विपणन समिति चम्बा द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्क

विपणन समिति चम्बा के अवधि 4/2011 से 3/2015 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹1,29,746 आंका गया। इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु, सचिव, मार्किट कमेटी चम्बा से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः LCD(Audit)2015-16/A.K.S/119, दिनांक 29.9.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। मण्डी समिति द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को हिमाचल प्रदेश स्टेट को0 बैंक चम्बा के बैंक ड्राफ्ट संख्याः 053839, दिनांक 5.10.2015 द्वारा भेज दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) विपणन समिति चम्बा द्वारा प्रस्तुत समिति की अवधि 4/2011 से 3/2015 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :—

विवरण	2011—12	2012—13	2013—14	2014—15
आरम्भिक शेष	1,69,87,573	1,95,87,674	1,97,82,168	2,16,69,377
आय	62,30,799	64,96,177	76,64,774	67,59,017
ब्याज	11,04,559	14,48,648	15,74,142	19,33,183
कुल योग	**2,43,22,931**	**2,75,32,499**	**2,90,21,084**	**3,03,61,577**
व्यय	47,35,257	77,50,331	73,51,707	61,11,836
अन्तशेष	**1,95,87,674**	**1,97,82,168**	**2,16,69,377**	**2,42,49,741**

(ख) अन्तशेष का विवरण :

(i) दिनांक 31.3.2015 को विभिन्न बैंक खातों में जमा राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1)	एस0बी0आई0 परेल	11505735298	7,88,894.76
2)	एस0बी0आई0 नैनीखड	01100060090	3,86,482.00
3)	स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नैनीखड	1112	3,22,182.00
4)	स्टेट कोऑपरेटिव बैंक चम्बा	4528	17,11,342.24
		कुल योग	**₹32,08,901.00**

(ii) दिनांक 31.3.2015 को सावधिक जमा में निवेश निम्नलिखित है। (परिशिष्ट–''ख'')

बैंक का नाम	सावधिक संख्या	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	दर
एस0बी0आई0 परेल	32137599169	12.1.2015	12,80,428	12.1.2018	16,47,93..	8.05%
एस0बी0आई0 परेल	31172120901	15.5.2014	26,45,957	15.5.2015	28,92,251	9.00%
एस0बी0आई0 परेल	31727560025	5.4.2014	46,36,147	5.4.2015	50,67,695	9.00%
स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नैनीखड	18830301944	31.3.2015	1,00,00,000	31.3.2016	1,09,10,536	9.00%
स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नैनीखड	18830302966	21.11.2014	17,92,247	31.3.2016	20.22.418	9.00%
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	65144577730	20.1.2014	5,60,797	29.7.2015	6,42,315	9.00%
कुल निवेशित राशि			**2,09,15,576**			

(iii) विभिन्न किरायेदारों से प्राप्त प्रतिभूति को राशियाँ जो सावधि जमा राशि के रूप में मार्किट कमेटी के पास जमा है **परिशिष्ट 'ग''** ₹95,000

कुल जमा राशि (i + ii + iii) ₹2,42,19,477

(ग) रोकड़ बही के अन्तशेष व विभिन्न बैंक खातों में जमा शेष राशि में मिलान

रोकड़ बही के अन्तशेष तथा बैंक खातों के अन्तशेष का मिलान करके अपेक्षित विवरण **परिशिष्ट 'घ''** पर दिया गया है।

5 रोकड़ बही के रख–रखाव से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) अभिलेख की जांच में पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा रोकड़ बही का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बही में न तो किसी भी माह में आरम्भिक शेष का उल्लेख किया गया है न ही प्रतिदिन प्राप्त कुल आय व व्यय का वर्णन/योग दिया गया है और न ही माह के अन्त में मासिक विवरण (Monthely Account) तैयार करके अन्तशेष का बैंकों के अन्तशेष के साथ मिलान किया गया है, अपितु रोकड़ बही में केवल प्रतिदिन की आय–व्यय का विवरण दिया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971 के नियम 2.2 में पूर्णतय स्पष्ट किया गया है कि रोकड़ की नियमित अन्तराल पर पूर्ण जाँच की जानी चाहिए। संस्थाध्यक्ष द्वारा उसके

योग का सत्यापन्न करके इस सन्दर्भ में ''प्रमाणित है कि ठीक है'', लिखकर प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने भी अपेक्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त माह के अन्त में मासिक विवरण तैयार करके माह के अन्तशेष के सन्दर्भ में (Cash Balance) रोकड़ में प्रमाणपत्र करना अपेक्षित होता हैं तथा मण्डी समिति द्वारा तैयार की गई रोकड़ बही में उपरोक्त किसी भी नियम की अनुपालना नहीं की गई है, जोकि एक गम्भीर चूक है। अतः यह मामला प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश मार्किटिंग बोर्ड के विशेष ध्यान मे लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि किसी भी प्रकार की गलती को नकारने हेतु अविलम्ब रोकड़ का लेखन व रख–रखाव नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए व की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(ख) जांच में पाया गया कि वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान विभिन्न लाईसैन्स धारकों द्वारा बैंकों के माध्यम से जमा करवाई गई मार्किट फीस के भुगतान स्वरूप एस0बी0आई0 परेल द्वारा सेवा शुल्क के रूप में कुल ₹10,057 की वसूली की गई अर्थात विभिन्न लाईसैन्स धारकों से मार्किट फीस के रूप में कुल ₹10,057 कम क्रैडिट की गई। इस राशि को क्रम क्रैडिट की गई राशि बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इसे बट्टे खाते डालने हेतु नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाते हुए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दर्शाई जाए।

(ग) रोकड़ बही में किए गए आय/वसूलियों के इन्द्राज तथा इनको बैंक में जमा/क्रैडिट से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनांक 8.8.2011 को ₹640 की आय तथा दिनांक 31.8.2014 को ₹85 की आय अर्थात कुल ₹725 की आय को किसी भी बैंक खाते में जमा नहीं करवाया गया है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इस सन्दर्भ में उचित कार्रवाई करने के उपरान्त राशि को बैंक खाते में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(घ) जांच में पाया गया कि मार्किट कमेटी द्वारा कोई ऐसा अभिलेख तैयार नहीं किया गया है, जिससे पता यह चल सके कि किस लाईसैन्स धारक द्वारा चैक के माध्यम से किस दिन कितनी राशि जमा करवाई गई तथा बैंक द्वारा कब व कितनी राशि का क्रैडिट दिया गया। अतः इस सन्दर्भ में आवश्यक अभिलेख तैयार न करने का कारण स्पष्ट किए जाएं तथा यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस सन्दर्भ में पूर्ण अभिलेख तैयार किए जाएं ताकि प्रत्येक चैक के भुगतान व क्रैडिट पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जा सके।

6 मण्डी समिति की दुकानों को किराये पर दिए जाने तथा किरायेदारों के किराये की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताए

(क) दुकानों के किराये की ₹3,62,349 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

विपणन समिति की चम्बा (बाल) स्थित सब्जी मण्डी में निर्मित 12 दुकानों के किराए से सम्बन्धित मांग एवं वसूली रजिस्टर के अनुसार किरायेदारों से दिनांक 31.3.2015 तक निम्न विवरणानुसार किराये की ₹3,62,399 वसूली हेतु शेष पाई गई।

अवधि	**पिछला बकाया**	**वर्ष की मांग**	**कुल योग**	**वर्ष की वसूली**	**बकाया राशि**
2011—12	3,53,905	1,14,450	4,68,355	1,17,450	3,50,905
2012—13	3,50,905	1,12,320	4,63,225	1,11,810	3,51,415
2013—14	3,51,415	1,49,280	5,00,695	1,20,200	3,80,495
2014—15	3,80,495	3,11,762	6,92,257	3,29,908	3,62,349

दिनांक 31.3.2015 तक उपरोक्त वसूली योग्य राशि का सम्बन्धित किरायेदार के अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्रम संख्या	**दुकानदार का नाम**	**दुकान नम्बर**	**प्रति माह किराया**	**वसूली हेतु शेष राशि**
1	श्री योगेश्वर महाजन	1	700	864
2	श्री रविन्द्र महाजन	3	700	1,006
3	श्री राकेश कुमार	7	1660	21,318
4	श्री कुलदीप कुकरेजा	9	1660	97,112
5	श्री शिव नाथ	11	1660	82,904
6	श्री अमित महाजन	12	1660	58,133
7	श्री मानव विशाल	13	1660	78,168
8	श्री अनिल कुमार	6	1408	4,229
9	श्री ज्ञान चन्द	10	2244	2,244
10	श्री सुरज प्रकाश	11	2244	2,244
11	श्री रविन्द्र महाजन	12	2244	2,244
12	श्री सुरिन्द्र महाजन	13	2244	2,244
13	श्री जोगिन्द्र महाजन	14	2244	2,244
			कुल योग	**3,62,349**

क्रम संख्याः 1, 3, 4, 5, 6 व 7 पर वर्णित दुकानदार 30.4.2011 को अपनी दुकानें खाली कर चुके हैं तथा क्रम संख्या 4 से 7 तक पर वर्णित दुकानदारों से बकाया राशि की वसूली हेतु मामला तहसीलदार (रिकवरी) के अधीन लम्बित है।

(ख) श्री पवन कुमार नरयाल पुत्र श्री सरदारी लाल को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए दण्ड की ₹2,10,000 की वसूली न करना और न ही दुकान खाली करवाने हेतु कार्रवाई करना

श्री पवन कुमार नरयाल को किराये पर आबंटित दुकान नम्बर 5 का आबन्टन उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) नियम 2005 के अन्तर्गत आबन्टन की शर्तों के अनुसार काम न करने के कारण तथा दिनांक 16.4.2011 को समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति चम्बा (हिमाचल प्रदेश) के पत्र संख्याः कृउमस–चम्बा (आबंटन)2010–11/485–493, दिनांक 18.4.2011 द्वारा दिनांक 1.5.2011 से रद्द कर दिया गया तथा दिनांक 30.4.2011 के दुकान का कब्जा वापिस सौंप देने के आदेश दिए अन्यथा उनमें दो से पांच गुणा तक किराये की वसूली दण्ड स्वरूप करने तथा जमा प्रतिभूति को भी जब्त किए जाने के आदेश दिए गए थे। जांच में पाया गया कि श्री पवन नरयाल द्वारा आबन्टन रद्द करने सम्बन्धित आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी दुकान खाली नहीं की गई और न ही कब्जा मण्डी समिति को सौंपा गया। मण्डी समिति द्वारा उपरोक्त पत्र जारी करने के उपरान्त श्री पवन नरयाल से न तो दुकान वापिस लेने हेतु और न ही दण्ड की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गई यघपी श्री पवन नरयाल द्वारा चैक संख्याः 344645, दिनांक 30.9.2012 द्वारा मण्डी समिति के पास ₹20,360 जमा करवाई गई थी, परन्तु यह चैक Dishonour हो गया था फिर भी मण्डी समिति द्वारा उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार खाते में पैसा न होते हुए चैक का देना (चैक का dishonour होना) एक आपराधिक कृत्य है जिस हेतु उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई का किया जाना अपेक्षित था, परन्तु मार्किट कमेटी द्वारा उनको अनुचित लाभ देते हुए उसके विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई और न ही राशि की वसूली की गई, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं। तत्पश्चात आबन्टन रद्द करने के 3 वर्ष 8 माह बाद आपत्ति अत्यन्त विलम्ब से दिनांक 27.12.2014 को सचिव मण्डी समिति द्वारा पत्र संख्या ए0पी0एम0सी0 चम्बा (अन्य) 2014–15/593 द्वारा श्री पवन नरयाल को दुकान खाली करने तथा 5 गुणा किराया दण्ड स्वरूप कार्यालय में 3 दिन में जमा करवाने के आदेश दिए गए, परन्तु पवन नरयाल द्वारा फिर भी आदेशों की अनुपालना नहीं की गई। नस्ति की जाँच में यह भी पाया गया कि माह दिसम्बर 2014 के पश्चात से वर्तमान समय तक लगभग 10 माह व्यतीत हो जाने पर भी मण्डी समिति द्वारा श्री पवन नरयाल के विरूद्ध दुकान खाली करवाने व दण्ड राशि वसूलने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई जोकि पांच गुणा किराए के साथ माह 10/2015 तक (प्रति माह ₹750 किराये के 5 गुणा की ₹3750 तथा माह 5/2011 से 10/2015 तक 56 माह के किराये की ₹2,10,000) बनती है। उपरोक्त प्रकरण से यह स्पष्ट प्रकट होता हे कि मण्डी समिति प्रशासन द्वारा श्री पवन नरयाल को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः यह मामला प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के विशेष ध्यान में इस आशय से लाया

जाता है कि इस सन्दर्भ में मण्डी समिति को अविलम्ब उचित कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए जाएं तथा उनके द्वारा की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, चम्बा द्वारा उक्त वर्णित अपने पत्र संख्या कृ0उ0म0स0–चम्बा (आबंटन)2010–11/485–493, दिनांक 18.4.2011 द्वारा, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 के प्रावधानों व आबन्टन की शर्तों के अनुसार किरायेदारों द्वारा कार्य न करने के कारण दुकानों के जो आबन्टन रद्द किए थे उसमें श्री योगेश्वर लाल (दुकान नम्बर 1), तथा श्री राकेश कुमार (दुकान नम्बर 7) का भी आबन्टन भी रद्द किया गया था तथा 1.5.2011 से उनसे दुकानों का कब्जा वापिस ले लिया गया था, परन्तु उनसे दिनांक 30.4.2011 तक बकाया किराये की राशि क्रमशः ₹8264 व ₹21318 की वसूली नहीं की गई है। इन दोनों किरायेदारों की प्रतिभूति राशि सावधि निवेश के रूप में क्रमशः ₹5000 व ₹10,000 मण्डी समिति के पास जमा है। अतः किराये की राशि का उसमें से समायोजन करके शेष राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाए जाऐं तथा की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) मण्डी समिति की सब्जी मण्डी में दुकान नम्बर 1, 7 व 8 माह 1.5.2011 से खाली पड़ी हैं, परन्तु मण्डी समिति द्वारा इन्हें किराये पर चढ़ाने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। अतः परामर्श दिया जाता है कि इन्हें किराये पर चढ़ाने हेतु प्रयास किए जाऐं ताकि मण्डी समिति को और किराये के रूप में आय प्राप्त हो सके।

7. मण्डी समिति प्रशासन द्वारा आयकर आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष न रखने के कारण अतिरिक्त आयकर की ₹6,12,910 का भुगतान करने के सन्दर्भ में

आयकर आयुक्त, डलहौजी स्थित बनीखेत द्वारा दिनांक 10.12.2009 को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(3) के अन्तर्गत मण्डी समिति की Assessment Year 2004-2005, 2005-2006 & 2006-2007 की निर्धारित हो चुकी आय की राशि क्रमशः ₹28,36,645, ₹42,11,615 तथा ₹52,67,767 की Assessment पर आपत्ति उठाते हुए Assessment Year 2004-2005 की आय से प्रदान की गई ह्रास (Depreciation) की छूट की ₹20,786 तथा छोटे कार्यों पर व्यय की गई ₹10,558 अर्थात कुल ₹31,344 के सन्दर्भ में तथा Assessment Year-2005-06 की आय से प्रदान की गई ह्रास के रूप में छूट

की ₹49,640 के सन्दर्भ में तथा Assessment Year 2006-07 की आय से मुख्य मन्त्री पथ योजना में व्यय की गई ₹9,63,000 के सन्दर्भ में आयकर अधिनियम की धारा 154/155 के अन्तर्गत दिनांक 5.11.2013 को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 19.11.2013 को दोपहर 2 बजे सचिव मण्डी समिति को अपना पक्ष रखने हेतु समय दिया गया, परन्तु निर्धारित तिथि को मण्डी समिति की तरफ से अपना पक्ष रखने हेतु कोई अधिकारी या प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। तदोपरान्त दिनांक 20.2.2014 को आयकर आयुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जोकि दिनांक 22.2.2014 को समिति को सौंपा गया, परन्तु फिर भी मण्डी समिति द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु न तो कोई अधिकारी अथवा प्रतिनिधि उपस्थित हुआ और न ही समिति द्वारा कोई आपत्ति दर्ज करवाई गई, परिणामस्वरूपयह मान कर की मण्डी समिति को, उठाई गई उक्त आपत्ति/निर्धारण पर कोई ऐतजाज नहीं है और वह इससे सहमत है, अतः आयकर अधिकारी द्वारा दिनांक 19.3.2014 को एकतरफा फैसला लेते हुए अतिरिक्त आयकर के रूप में कुल ₹6,12,910 की मांग उठाई गई जिसे मण्डी समिति द्वारा वाऊचर संख्याः 210, दिनांक 27.3.2014 के अन्तर्गत जमा करवा दिया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	**निर्धारण वर्ष**	**दिनांक 10.12.2009 को धारा 143(3) में निर्धारित आय**	**आय/छूट की राशि जिस पर 5.11.2013 को आपत्ति उठाई गई**	**दिनांक 19.9.2014 को अपने निर्णय में आयकर आयुक्त द्वारा ली गई कुल आय**	**अपने निर्णय में आयकर आयुक्त द्वारा लगाया गया अतिरिक्त आयकर**
1	2004–05	28,36,645	31,344	28,67,989	22,647
2	2005–06	42,11,615	49,640	42,61,255	32,734
3	2006–07	52,67,767	9,63,000	62,30,767	5,57,529
				कुल आयकर	**₹6,12,910**

इस सन्दर्भ में सचिव मण्डी समिति से आयकर अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष न रखने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 109, दिनांक 18.9.2015 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था तथा यह स्पष्ट करने हेतु कहा गया था कि यह किस प्रकार सुनिश्चित किया गया कि आयकर आयुक्त द्वारा उठाई गई आपत्ति एक उचित आपत्ति है तथा आयकर भुगतान से पूर्व यह किस प्रकार सुनिश्चित किया गया कि उनके लगाया गया आयकर उचित है क्योंकि वर्ष 2004–05 की आय छूट की ₹31344 जिस पर दिनांक 5.11.2013 को आपत्ति उठाई गई थी उसपर ₹22647 का अतिरिक्त आयकर लगाया गया जबकि 2006–07 की आय छूट की ₹96300 जिस पर दिनांक 5.11.2013 को आपत्ति उठाई गई थी, उसपर अतिरिक्त आयकर लगाया गया है। सचिव मण्डी समिति से यह भी

स्पष्ट करने हेतु कहा गया था कि क्या भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, मार्किट बोर्ड से इस सन्दर्भ में स्वीकृति प्राप्त की गई थी, परन्तु उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इस प्रकार मार्किट कमेटी प्रशासन द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई न करना तथा केस की पैरवी न करना मण्डी समिति प्रशासन की लापरवाही व चूक को परिलक्षित करता है। वास्तव मे ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर नियमों के अन्तर्गत यह राशि देय ही नहीं थी, क्योकि आयकर नियमों के अनुसार अगर धारा 143(3) के अन्तर्गत एक बार कर का निर्धारण हो गया हो तो उसे केवल 6 वर्षो के बीच पुनः निर्धारण हेतु खोला जा सकता है अर्थात निर्धारण वर्ष 2006–07 से सम्बन्धित मामलों को दिनांक 31.3.2013 तक ही खोला जा सकता था (**परिशिष्ट– 'ड.''**) जबकि इस मामले में वर्ष 2004–05 से 2006–07 के मामलों को दिनांक 5.11.2013 को खोला गया। अतः यह मामला प्रबन्ध निदेशक, मण्डी बोर्ड व अन्य उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा मण्डी समिति द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त आयकर की प्रतिपूर्ति हेतु प्रभावी कदम उठाए जा सकें तथा की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

8 कैन्चुआ खाद संयन्त्र के निर्माण पर किए गए ₹78,216 के व्यय के सन्दर्भ में

प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि मार्किटिंग बोर्ड द्वारा अपने पत्र संख्याः HMB(F)2-13/2008-6667, dated 9-9-2013 द्वारा माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, बानीकी/सूचना प्राद्योगिकी मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः SPS/1&PH/Hort/IT-Min/2013-5773, दिनांक 9.7.2013 की अनुपालना में प्रत्येक मार्केट यार्ड के केन्चुआ खाद/वर्मी कमपोस्ट संयन्त्र स्थापित करने के आदेश भी दिए गए थे तत्पश्चात मण्डी समिति चम्बा द्वारा दिनांक 12.8.2013 को अपनी बैठक के प्रस्ताव संख्याः 8 में संयन्त्र स्थापित करने हेतु स्वीकृति भी प्रदान की गई तथा मण्डी समिति द्वारा कुल ₹78,216 व्यय कर सब्जी मण्डी बालु (चम्बा) में कैन्चुआ खाद/वर्मी कम्पोस्ट संयन्त्र की स्थापना की गई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 75, दिनांक 12.8.2015 द्वारा सचिव, मार्किट कमेटी चम्बा से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या इस संयन्त्र से कभी खाद प्राप्त की गई है तथा क्या उससे कुछ आय भी प्राप्त हुई है, जिसके उतर में सचिव मण्डी समिति द्वारा पत्र संख्याः 1–405, दिनांक 17.8.2015 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि इस संयन्त्र से न तो कभी कोई आय प्राप्त हुई है न ही खाद बनी है। अतः स्पष्ट प्रकट है कि मण्डी समिति द्वारा वर्मी कमपोस्ट संयन्त्र पर भी सभी मण्डी से व्यर्थ/कूडे का निस्तारण नहीं रहा है और न ही प्रदूषण का नियन्त्रण हो रहा है। इसके अतिरिक्त केंचुआ खाद के विक्रय से प्राप्त होने वाली आय से भी वंचित होना पड़ रहा हैं। अतः मण्डी समिति प्रशासन को परामर्श दिया जाता हे कि इस संयन्त्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयत्न किए जायें जिससे जहां एक तरफ

मण्डी समिति को केंचुआ खाद के विक्रय से आय अर्जित होगी वहीं समिति को मण्डी का कूड़ा–कचरा निष्पादन पर होने वाले व्यय की भी बचत होगी। इसके अतिरिक्त इसमें प्रदूषण नियन्त्रण में भी सहयोग होगा।

9. मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे व मण्डी शुल्क की नियमानुसार वसूली न करने बारे

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 की धारा 37(2) के अनुसार प्रत्येक समिति द्वारा अपने व्यापारियों का पूरा खाता फार्म ''W'' पर तैयार करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक व्यापारी द्वारा प्रत्येक माह में जो व्यापार किया गया उसका लेखा जोखा तथा उस पर देय एवं वसूल की गई मार्किट फीस का पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा। जाँच में पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा इस प्रकार का कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया है और न ही व्यापारियों से प्रत्येक माह शुल्क की वसूली की गई है अपितु व्यापारियों द्वारा 4–5 माह के मण्डी शुल्क की ही स्वेछानुसार इक्ट्ठे जमा करवाया गया है, जोकि नियमों की अवहेलना हैं अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में नियमानुसार अभिलेख तैयार न करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा यह भी परामर्श दिया जाता है कि इस बारे में अविलम्ब अपेक्षित अभिलेख का तैयार किए जाने तथा तदानुसार ही प्रत्येक माह की मार्किट फीस की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि नियमों की अनुपालना सहित प्रत्येक माह के शुल्क की वसूली भी नियमानुसार की जा सके। व्यापारियों द्वारा इक्ट्ठी जमा करवाई गई फीस में से कुछ का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	रसीद संख्या	दिनांक	व्यापारी का नाम	जिस अवधि का मण्डी शुल्क जमा करवाया गया	मण्डी शुल्क की राशि
1	283051	8.9.2014	मैं0 जिया लाल अग्रवाल एण्ड सन्ज़	1.6.14 से 31.8.14 तक	7,242
2	452912	18.9.2013	मै0 गुलाम रसूल प्यार दीन	1.4.13 से 15.9.13 तक	7,403
3	452913	18.9.2013	मैं0 प्यार दीन रोशन दीन	1.4.13 से 8.9.13 तक	7,770
4	452914	18.9.2013	मै0 हुशियारा राम एण्ड सन्ज़	1.4.13 से 18.9.13 तक	12,375
5	425915	18.9.2013	मैं0 अब्दुल हमीद एण्ड सन्ज़	1.4.13 से 17.9.13 तक	26,246
6	283047	3.9.2014	मैं0 धिमान टिम्बर हाऊस	1.1.14 से 31.3.14 तक	1,628

(ख) अभिलेख की जाँच में यह भी पाया गया कि विभिन्न लाईसैन्स धारक व्यापारियों द्वारा जो सामान आयात या निर्यात किया जाता है, उसका पूर्ण अभिलेख/ईन्द्राज तनुहट्टी नाका में भी रखा जाता है। विभिन्न व्यापारियों द्वारा जमा करवाया गया मण्डी शुल्क का मिलान तनु हट्टी नाका में सम्बन्धित व्यापारियों के खाते तथा व्यापारियों द्वारा किए गए व्यापार पर देय मण्डी शुल्क के साथ करने पर यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा पूर्ण मण्डी शुल्क जमा

करवाया गया है अथवा नहीं, क्योंकि मण्डी समिति द्वारा भी इस सन्दर्भ में आवश्यक अभिलेख, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 37(2) में वर्णित प्रारूप (Form "W") पर तैयार नहीं किए गए हैं। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 107 दिनांक 16.9.2015 द्वारा सचिव मण्डी समिति से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, परन्तु उनके द्वारा कोई उतर नहीं दिया गया। अतः आवश्यक अभिलेख तैयार न करने का कारण स्पष्ट किए जाएं तथा जाँच के उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक व्यापारी द्वार पूर्ण देय मण्डी शुल्क जमा करवा दिया गया है अन्यथा कम जमा करवाए गए मण्डी शुल्क की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए। जिन व्यापारियों द्वारा कम मण्डी शुल्क जमा करवाया गया है उनका विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम	अवधि जिस तक मण्डी शुल्क वसूला गया	वसूल किए गए मण्डी शुल्क का विवरण	तनुहट्टी नाका खाता पृष्ठ सं0 तथा देय मण्डी शुल्क की राशि	कम वसूल की गई राशि
1	मैं0 खजान चन्द एण्ड सन्ज़	10.12.2011	रसीद सं0 2039/77, दिनांक 13.12.2011 ₹5,827	खाता पृष्ठ संख्या 364, ₹17,254	11,427
2	मै0 मुकेश कुमार एण्ड सन्ज़	7.10.2011	रसीद सं0 2039/78, दिनांक 13.12.2011 ₹257	खाता पृष्ठ संख्या 457, ₹711	454
3	मै0 बालम जनरल स्टोर	30.11.2011	रसीद सं0 2039/80, दिनांक 13.12.2011, ₹8345	खाता पृष्ठ संख्या 447, ₹13375	5,030
4	मैं0 एम0एम0 ट्रैडर्ज साहु	13.12.2011	रसीद सं0 2001/42, दिनांक 29.7.2011, ₹24688 तथा रसीद सं0 2039/82, दिनांक 14.12.2011, राशि 19895 कुल ₹44583	खाता पृष्ठ संख्या 43 व 435 कुल ₹57920	13,337
5	मैं0 गुलाम रसूल प्यार दीन	18.12.2011	रसीद सं0 2039/90, दिनांक 19.12.2011, राशि 9264	खाता पृष्ठ संख्या 144, कुल राशि 15585	6,321
6	श्री सुभाश चन्द राणा सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द राणा	24.9.2013	रसीद सं0 468811, दिनांक 24.9.2013,	खाता पृष्ठ संख्या 669, ₹4314	714

			₹3600		
7	मैं0 अजय पौल्ट्री फार्म	30.1.2013	रसीद सं0 2352/06, दिनांक 30.1.2013, ₹ 15000	खाता पृष्ठ संख्या 185, ₹35802	20,802
				कुल योग	**58,085**

(ग) मण्डी समिति के फार्म–''ओ'', जिसमे प्रतिदिन विक्रय की गई सब्जी, फ्रूट इत्यादि के विक्रय का ईन्द्राज लिया जाता है तथा जिसके आधार पर मण्डी शुल्क की वसूली की जाती है, की जाँच में पाया गया कि निम्न वर्णित मामलों में पूर्ण शुल्क की वसूली न करके कम वसूली की गई है। इस विषय को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एल0ए0डी0(ऑडिट)2015–16/ए0के0एस0/96, दिनांक 10.9.2015 द्वारा सचिव, मण्डी समिति के ध्यान में लाया गया, परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः कम वसूली के कारण स्पश्ट करते हुए इसकी पूर्ण वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	माह जिसका मण्डी शुल्क वसूला गया	माह जिसमें शुल्क जमा करवाया गया	दुकानदार का नाम	फार्म ''ओ'' अनुसार माह में देय मण्डी शुल्क	वसूला गया मण्डी शुल्क	की गई कम वसूली
1	8/2014	9/2014	मैं0 ज्ञान चन्द शर्मा, शॉप नं0 10	11,443	11,020	423
2	8/2013	9/2013	मैं0 जे0पी0एम0 शॉप नं0 14	7,490	4,490	3,000
3	11/2011	12/2011	मैं0 जे0पी0एम0 शॉप नं0 14	13,576	13,076	500

(घ) औकशन रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि मैं0 जे0पी0एम0 द्वारा दिनांक 15.8.2013 को व 19.8.2013 को किए गए व्यापार का ईन्द्राज फार्म ''ओ'' में नहीं किया गया, परिणामस्वरूप उनसे सम्बन्धित दिनों के मण्डी शुल्क की क्रमशः ₹153 व ₹120 अर्थात कुल ₹273 की वसूली नहीं की गई, जिसे उचित स्त्रोत से वसूल कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ड़) श्री धुनी राम सुपुत्र श्री प्रभु राम द्वारा जमा करवाए गए फार्म ''ओ'' के आधार पर उनके द्वारा माह 8/2014 व 9/2014 मे किए गए व्यापार के मण्डी शुल्क की कुल ₹2175 रसीद संख्याः 283055, दिनांक 10.9.2014 के अन्तर्गत वसूली की गई। जाँच में पाया गया कि श्री धुनी राम द्वारा माह 8/2014 में केवल ₹1,20,000 का व्यापार किया गया दर्शाया गया है, जबकि तनुहट्टी नाका में तैयार किए गए खातों के अनुसार उनके द्वारा उक्त माह में कुल ₹1,94,000 का व्यापार किया गया

था। इस प्रकार व्यापारी द्वारा फार्म ''ओ'' में ₹74,000 का कम व्यापार दर्शा कर मण्डी शुल्क की ₹740 कम जमा करवाई गई। अतः इस सन्दर्भ में उचित कार्रवाई अमल में लाते हुए मण्डी शुल्क की उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(च) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि जो व्यापारी विक्रय हेतु बाहर से सामान आयात करते हैं, उनसे दूध व पौल्टरी के सामान पर आयात मूल्य पर 8% लाभांश लेकर तथा शेष सामग्री पर 5% लाभांश लेकर मण्डी शुल्क की वसूली की जाती है। मै0 एस0एम0 पौल्टरी फार्म चम्बा द्वारा दिनांक 1.6.2013 से 31.8.2013 के दौरान 3 माह में ₹13,79,900 का सामान आयात किया गया तथा इस राशि पर 8% का लाभांश लेने के स्थान पर 5% लाभांश लेकर कुल ₹14,48,895 पर 1% की दर पर मण्डी शुल्क के रूप में ₹14,489 की वसूली रसीद संख्या 452925, दिनांक 25.9.2013 के अन्तर्गत की गई, यदि 8% लाभांश लिया जाता तो ₹13,79,900 + ₹1,10,392 = ₹14,90,929 पर मण्डी शुल्क के रूप में ₹14903 की वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार उनसे मण्डी शुल्क की ₹414 की कम वसूली की गई, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं व इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(छ) मण्डी समिति द्वारा मार्किट यार्ड बालू (सब्जी मण्डी चम्बा) मे विभिन्न व्यापारियों से वसूल की गई मार्किट फीस से सम्बन्धित अभिलेख फार्म–''ओ'' तथा (function Register) की जाँच करने पर पाया गया कि प्रायः व्यापारियों द्वारा पूरे माह की मण्डी न दर्शा कर केवल कुछ दिनों की मण्डी दर्शा कर मार्किट फीस जमा करवाई गई है। उदाहरण के रूप में कुछ व्यापारियों द्वारा विभिन्न माह में किए गए व्यापार का विवरण निम्नलिखित है ।

क्र0 सं0	माह	व्यापारियों का विवरण		माह में व्यापारियों द्वारा किया गया कार्य जिनका मण्डी शुल्क जमा करवाया गया
1	11/2011	मैं0 एस0के0एम0	शॉप नम्बर 13	6 दिन
		मैं0 आर0के0 एम0	शॉप नम्बर 3	22 दिन
		मैं0 सुरज प्रकाश	शॉप नम्बर 11	6 दिन
2	12/2012	मैं0 एस0के0एम	शॉप नम्बर 13	11 दिन
		मैं0 ज्ञान चन्द शर्मा	शॉप नम्बर 10	18 दिन
		मैं0 आर0के0 एम0	शॉप नम्बर 3	6 दिन
		मैं0 सुरज प्रकाश	शॉप नम्बर 11	10 दिन
3	8/2013	मैं0 एस0के0एम0	शॉप नम्बर 13	22 दिन
		मैं0 ज्ञान चन्द शर्मा	शॉप नम्बर 10	18 दिन
		मैं0 सुरज प्रकाश	शॉप नम्बर 11	14 दिन

4	8/2014	मैं0 एस0के0एम	शॉप नम्बर 13	24 दिन
		मैं0 सुरज प्रकाश	शॉप नम्बर 11	2 दिन

इस प्रकार इन व्यापारियों द्वारा पूरे माह मण्डी न कर केवल कुछ दिनों तक कार्य करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस विषय को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः LCD(Audit)2015-16/A.K.S/96, दिनांक 10.9.2015 द्वारा सचिव, मण्डी समिति के साथ उठाया गया था, परन्तु उनके द्वारा कोई उतर नहीं दिया गया। अतः यह मामला प्रबन्ध निदेशक मार्किटिंग बोर्ड व अन्य उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता ताकि इस सन्दर्भ में उच्च स्तरीय जाँच के उपरान्त अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

10 रसीद पुस्तकों से सम्बन्धित अभिलेख/स्टॉक के रख–रखाव से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) मण्डी समिति द्वारा रसीद पुस्तकों से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। जांच में पाया गया कि स्टॉक में जितनी भी रसीद पुस्तकों की प्राप्ति हुई है वह किस क्रमांक की प्राप्त हुई हैं, उनका वर्णन स्टॉक में नहीं किया गया है, अपितु केवल मात्र जारी की गई रसीद पुस्तकों का क्रमांक ही दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त रसीद पुस्तकें जारी करते समय इनको क्रमानुसार जारी न करके अलग–अलग क्रमांक की रसीद पुस्तकें जारी कर दी गई हैं। उदाहरण के रूप में दिनांक 4.9.2012 को तनुहट्टी नाका में प्रयोग हेतु क्रमांक संख्याः 2049, 2278, 2097, 2714, 2576, 2237, 2408, 2297, 2230 व 2069 की 10 रसीद पुस्तकें जारी की गई। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा पुरानी रसीद पुस्तकें पूर्ण रूप से प्रयोग न करके नई पुस्तकें छपवाकर उन्हें प्रयोग में लाना आरम्भ कर दिया गया है। उदाहरण के रूप में स्टॉक रजिस्टर संख्या 3 के पृश्ठ 22 पर 2200, 2300 व 2400 इत्यादि क्रमांक की (100 रसीदों वाली) प्रति पुस्तक की दिनांक 31.8.2010 तक 664 पुस्तकें स्टॉक में शेष बची थी तथा पृष्ठ 23 पर (200 रसीदों वाली) प्रति रसीद पुस्तक की 1000 पुस्तकों का नया स्टॉक लेकर क्रमांक संख्या 100001 से 108000 की 10 रसीद पुस्तकें दिनांक 14.7.2010 को जारी करके शेष 990 पुस्तकें स्टॉक मे शेष दर्शाई गई हैं, जिन्हें 5 वर्ष बीत जाने पर भी प्रयोग में नहीं लाया गया है। तत्पश्चात स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–52 पर दिनांक 31.8.2010 को पुरानी शेष 664 रसीद पुस्तकों में से समय–समय पर रसीद पुस्तकें जारी करके दिनांक 3.10.2012 को स्टॉक में 612 रसीद पुस्तकें शेष दर्शाई गई हैं, जिन्हें 3 वर्ष बीत जाने पर भी प्रयोग में नहीं लाया गया है। इसके पश्चात मण्डी समिति द्वारा पुनः वर्ष 2013–14 के लिए अलग स्टॉक रजिस्टर खोल कर इसके पृष्ठ–81 पर 250 रसीद पुस्तकों को खरीद करके उन्हें प्रयोग में लाना शुरू कर दिया गया जिनमें से दिनांक

24.9.2015 को स्टॉक में शेष 134 रसीद पुस्तकें शेष पड़ी थी, जबकि स्टॉक में 5 वर्ष पुरानी 990 रसीद पुस्तकें व 3 वर्ष पुरानी 612 रसीद पुस्तकें भी शेष पड़ी थी। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति द्वारा स्टॉक रजिस्टर में यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि जारी की गई समस्त रसीद पुस्तकें प्रयोग में लाई गई हैं अथवा नहीं तथा प्राप्त राशि को पूर्ण रूप से लेखाबद्ध कर लिया गया है अथवा नहीं? उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत इन रसीद पुस्तकों के किसी प्रकार के दुरूपयोग को नकारा नहीं जा सकता है। अतः प्राप्त रसीद पुस्तकों का क्रमांक सहित स्टॉक इन्द्राज न करने तथा क्रमानानुसार ही रसीद बुकों को जारी न करने के कारण स्पष्ट किए जाऐं तथा यह भी स्पष्ट किया जाए कि जारी की गई प्रत्येक रसीद पुस्तक से वसूली की गई पूर्ण राशि को लेखाबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य मे किसी प्रकार के दुरूपयोग को नकारने हेतु स्टॉक में पड़ी शेष समस्त रसीद पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाए तथा संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके निम्न वर्णित Performa के अनुसार स्टॉक रजिस्टर में रसीद बुकों का इन्द्राज करके इन्हें प्रयोग में लाया जाए।

1	2	3	4
Date of Receipt of Receipt Books	**No. of Receipt Book Received**	**Sr. No. of the Receipt Books**	**No of Forms in the receipt book reffered in Col. No. 3**
5	**6**	**7**	**8**
Signature of the Custodion of Receipt Book	Signature of the officer attesting the entry mode in stock register	Date of issue of receipt books for use	Sr. No. of the receipt book issued from use
9	**10**	**11**	**12**
Singnature of the official to whom issued	Date od return of receipt book after use	Period during which the receipt book has been used	Singnature of the officer attesting the entry mode in the stock register
13			
Remarks			

(ख) माह 9/2013 में प्राप्त की गई आय से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि माह में तनुहट्ठी नाका में निम्नलिखित रसीद पुस्तकों से शुल्क वूसली की गई है ।

क्रम संख्या	रसीद संख्या
1	281101 से 281200
2	281201 से 281300
3	281301 से 281400
4	281501 से 281600

5	281601 से 281700
6	281701 से 281800
7	281801 से 281900

उपरोक्त रसीद पुस्तकों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि न तो इन रसीद पुस्तकों की स्टॉक रजिस्टर में कोई प्रविष्टि की गई थी और न ही इन्हें स्टॉक से जारी किया गया है, अपितु वर्ष 2013–14 के स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 81 के अनुसार तनुहट्टी नाका के प्रयोग हेतु दिनांक 27.7.2013 को क्रमांक संख्याः 472001 से 472401, क्रमांक संख्याः 468001 से 468401 की रसीद पुस्तकें तथा दिनांक 7.9.2013 को क्रमांक संख्याः 451001 से 451901 की रसीद पुस्तकें जारी की गई थी। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित रसीद पुस्तक संख्या 28101 से 281801 नम्बर की रसीद पुस्तकों का न तो स्टॉक में इन्द्राज किया गया था और न ही इसे प्रयोग हेतु जारी किया गया था। इस प्रकार इन रसीद बुकों के माध्यम से मण्डी शुल्क की वसूली किस प्रकार सम्भव हुई इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 121, दिनांक 1.10.2015 द्वारा सचिव मण्डी समिति से स्पष्टीकरण मांगा गया था, परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई उतर नहीं दिया गया। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में अपेक्षित जाँच अमल में लाई जाए तथा की गई कार्रवाई से एवं वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) मण्डी समिति द्वारा विभिन्न रसीदों के इन्द्राज की जाँच में पाया गया कि निम्न वर्णित रसीदों से सम्बन्धित आय को रोकड़ में लेखा बद्ध नहीं किया गया है और न ही इससे सम्बन्धित कोई कारण स्पष्ट किया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या LAD(Audit)2015-16/A.K.S/108, दिनांक 17.9.2015 द्वारा सचिव, मण्डी समिति से इन रसीदों को जाँच हेतु अंकेक्षण को उपलबध करवाने का निवेदन किया गया था, परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः निम्न वर्णित रसीदें आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाई जाए ताकि किसी प्रकार के दुरूपयोग को नकारा जा सके।

माह 1/2013, रसीद संख्या 2292/9 तथा 2292/81 व 2292/19

माह 12/2012, रसीद संख्या 2292/2 व 2292/3 तथा 2572/77 से 2572/80

माह 12/2011, रसीद संख्या 2039/81 तथा 2332/81 से 2332/88

(घ) अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि रसीद संख्याः 460175 द्वारा मै0 जे0टी0 एण्टरप्राईज़िज़ से मण्डी शुल्क के रूप में ₹11,023 की वसूली की गई थी तथा इस रसीद को रसीद की कार्बन कापी पर रद्द की गई (concelled) लिख कर इसे रद्द कर दिया गया, परन्तु

न तो रद्द करने का कोई कारण दर्शाया गया और न ही इस रसीद की मूल प्रति उक्त रसीद के साथ संलग्न है, जिससे प्रमाणित हो सके कि वास्तव में रसीद को रद्द किया गया है। इस सन्दर्भ में सचिव, मण्डी समिति से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एल0ए0डी0(ऑडिट) 2015–16/ऐ0के0एस0/104, दिनांक 15.9.2015 द्वारा रसीद रद्द करने के कारण व मूल प्रति सत्यापित करवाने हेतु कहा गया था, परन्तु इस सन्दर्भ में उनके द्वारा न तो कोई स्पष्टीकरण दिया गया और न ही मूल प्रति को सत्यापित करवाया गया। अतः इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच के उपरान्त उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

(ड़) मण्डी समिति द्वारा रसीद संख्याः 460177 से 460200 को खाली रखा गया है तथा 3 वर्श बीत जाने पर भी इन्हें प्रयोग में नहीं लाया गया है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

11 फार्म–''ओ'', ''आर'' तथा ''क्यू'' इत्यादि के स्टॉक के रख–रखाव बारे

मण्डी समिति द्वारा विभिन्न लाईसैंस धारी व्यापारियों को उपरोक्त फार्मों की कापियाँ ₹100 प्रति कापी की दर पर बेची जाती है। अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा इन फार्मों से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। इस विषय के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 97, दिनांक 10.9.2015 द्वारा सचिव, मण्डी समिति को अवगत करवाया गया था, परन्तु उनके द्वारा कोई उतर नहीं दिया गया, केवल विक्रय से सम्बन्धित रजिस्टर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच में पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा कोई भी फार्म क्रमांक अनुसार नहीं बेचे गए है। उदाहरणतः उक्त रजिस्टर में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

(क) स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 2 तथा 3 पर दिनांक 16.7.2010 से 30.11.2010 के फार्म–''ओ'' किस क्रमांक के बेचे गए, इससे सम्बन्धित कुछ भी वर्णित नहीं हैं तदोपरान्त 3 वर्ष बाद दिनांक 20.12.2013 को अलग–अलग क्रमांक के अनुसार इन फार्मों की बिक्री की गई दर्शाई गई है, जैसे कि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 1, 2 तथा 3 के अनुसार क्रमांक संख्या 1701 की पुस्तक/फार्मों का विक्रय दिनांक 16.6.2013 को करने के उपरान्त क्रमांक संख्याः 10001 की पुस्तक/फार्म दिनांक 27.3.2014 को बेचे गए तथा दिनांक 17.7.2014 को क्रमांक संख्याः 1151 की पुस्तक/फार्म बेचे गए।

(ख) यही स्थिति फार्म–''क्यू'' के रख–रखाव की भी है। स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्याः 22 तथा 23 के अनुसार दिनांक 15.7.2010 से 28.7.2010 के दौरान बेची गई 59 पुस्तकें/फार्म किस क्रमांक के थे, इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है तथा दिनांक 28.7.2010 के पश्चात दिनांक 20.10.2013 को अलग–अलग क्रमांक के फार्म बेचे गए।

(ग) इसी प्रकार फार्म–''आर'' भी स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 29 के अनुसार दिनांक 15.7.2010 के पश्चात 4 वर्ष बाद दिनांक 5.8.2014 को बेचे गए।

इस प्रकार इन फार्मों से सम्बन्धित अभिलेख स्टॉक रजिस्टर में उचित प्रकार से न रखने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा यह भी स्पष्ट किया जाए कि माह 7/2010 के बाद माह 12/2013 में फार्म–''ओ'' व ''क्यू'' का विक्रय तथा माह 7/2010 के पश्चात माह 8/2014 में फार्म–''आर'' का विक्रय किन परिस्थितियों में हुआ तथा बीच के 4 वर्षों में इन फार्मों के बिक्रय से नियमानुसार वसूली क्यों नहीं की गई। अतः इस प्रकारण में आन्तरिक जांच करके वस्तुस्थिति से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि इन फार्मों का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाकर तदानुसार ही इनका क्रमांक के अनुसार स्टॉक से विक्रय सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी प्रकार के दुरूपयोग को नकारा जा सके।

12 तनुहट्टी नाका में वसूल की जा रही मार्किट फीस से सम्बन्धित कोई अभिलेख न रखने बारे

कृषि विपणन समिति द्वारा अपने लाईसैंन्स धारक व्यापारियों से उनके द्वारा व्यापार करने पर हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 35(1) के अनुसार 1% की दर से मण्डी शुल्क की वसूली की जाती है, परन्तु अन्य व्यापारियों से नियम 37(8) के अनुसार दण्ड के रूप में यह वसूली 5% की दर पर की जाती है। वर्ष 2011–12 में राशि 14 लाख 92 हजार, 2012–13 में राशि 16लाख 7 हजार, 2013–14 में राशि 32 लाख 85 हजार तथा 2014–15 में राशि 25 लाख 33 हजार की इस शीर्ष के अन्तर्गत वसूली की गई। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नाका में इस शीर्ष के अन्तर्गत जो वसूली की जाती है उसे उचित ठहराने हेतु कोई अभिलेख नहीं रखा गया है केवल मात्र जारी की गई रसीदों में व्यक्ति का नाम गाड़ी का नम्बर, वस्तु का नाम व राशि इत्यादि अंकित की गई है। किसी भी रसीद में वस्तु की मात्रा व दर जिस आधार पर मार्किट फीस जारी की गई है इत्यादि का वर्णन नहीं किया गया है और न ही इस सन्दर्भ मे कोई अभिलेख तैयार किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि जारी की गई रसीद की राशि नियमानुसार सही है। इस प्रकार मण्डी समिति की आय के एक मुख्य स्त्रोत के सन्दर्भ मे कोई अभिलेख तैयार न करना एक चिन्तनीय विषय है। अतः यह मामला प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के विशेष ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्रवाई अमल में लाने हेतु मण्डी समिति को आवश्यक अभिलेख तैयार करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए जाएं।

13 सब्जी मण्डी, बालू (चम्बा) के प्रवेश द्वार पर वाहनों से वसूल किए जाने वाले प्रवेश शुल्क के सन्दर्भ में

मण्डी के आडतियों तथा सरकारी वाहनों को छोड़ कर सब्जी मण्डी (बालू) चम्बा के प्रवेश द्वार पर मण्डी में प्रवेश करने पर थ्री व्हीलर की ₹5, पिकअप की ₹10, कैन्टर की ₹20 तथा ट्रक की ₹30 की दर प्रवेश शुल्क की वसूली करने का प्रावधान रखा गया है। अंकेक्षण के दौरान इस शीर्ष से सम्बन्धित की गई वसूलियों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105, दिनांक 16.9.2015 द्वारा सचिव, मण्डी समिति से इस शीर्ष के अन्तर्गत की गई वसूलियों में तथा सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण को उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया था, परन्तु फिर भी उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

14 मण्डी समिति के अभिलेख में लगी आग के सन्दर्भ में

मण्डी समिति द्वारा चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि मण्डी समिति के रिकॉर्ड में लगी आग में वर्ष 2011–12 व 2012–13 का अधिकांश अभिलेख जल गया था तथा वर्तमान अंकेक्षण अवधि में चयनित किए गए माह 1/2013 की अधिकांश रसीद पुस्तकें भी अंशतः जल गई थी तथा रसीद पुस्तक संख्याः 2292 की रसीद संख्या 1 से 19 तथा 53 से 100 की प्रतियां अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः LAD(Audit) 2015-16/A.K.S/94, दिनांक 8.9.2015 तथा समसंख्यक अधियाचना संख्याः 103, दिनांक 15.9.2015 द्वारा सचिव मण्डी समिति से आग में हुए नुकसान, आग में जल गए अभिलेख, मण्डी समिति द्वारा इस सन्दर्भ में की गई कार्रवाई, पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई तथा प्रबन्ध निदेशक, मार्किटिंग बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाने का निवेदन किया गया था, परन्तु इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को कोई सूचना प्रदान नहीं की गई। अतः यह मामला प्रबन्ध निदेशक, मार्किटिंग बोर्ड के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

15. हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के पास जमा करवाई गई मार्केट फीस के 25% भाग की राशि के सन्दर्भ में

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकिय उपज विपणन (विकास एवं विनमय) विधेयक 2005 की धारा 49(3) के अनुसार प्रत्येक मण्डी समिति द्वारा धारा 44 के अन्तर्गत एकत्रित की गई मार्किट फीस का 25% भाग अंशदान के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पास जमा करवाना होगा तदानुसार ही मण्डी समिति द्वारा भी समय–समय पर एकत्रित राशि का 25% भाग प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि बोर्ड को भेजा गया हैं। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में माह मे की गई मार्किट फीस की वसूली, रोकड़ बही के अनुसार दर्शाई गई वास्तविक वसूली से अधिक दर्शा कर अंशदान के रूप में अधिक भुगतान किया गया है, जिसके

कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अधिक किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति/समायोजन करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(क) वाऊचर संख्याः 172, माह 2/2013 के अन्तर्गत मण्डी समिति द्वारा माह 10/2012 से 1/2013 के दौरान एकत्रित की गई मार्किट फीस के 25% भाग के अंशदान की ₹4,97,171 प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को भेजी गई। जांच में पाया गया कि इस भुगतान में निम्नविवरणानुसार वास्तविक वसूली से अधिक राशि का अंशदान भेजा गया।

माह	माह की मार्किट फीस की राशि जिस पर अंशदान भेजा गया	रोकड़ बही के अनुसार माह में एकत्रित मार्किट फीस	अधिक आय जिस पर मार्किट फीस का अधिक अंशदान दिया गया	अधिक भुगतान की गई राशि
10/2012	2,01,713	1,83,821	17,892	4,473
11/2012	3,14,152	2,94,401	19,751	4,938
12/2012	3,85,198	4,08,763	(–) 23,565	(–) 5,891
			योग	**3520**

(ख) वाऊचर संख्याः 120, दिनांक 7.10.2011 के अन्तर्गत माह 2/2011 से 8/2011 के दौरान एकत्रित की गई मार्किट फीस के 25% भाग के अंशदान की ₹6,18,024, प्रबन्ध निदेशक, राज्य कृषि विपणन बोर्ड को भेजी गई। इस भुगतान में माह 6/2011 की आय की गणना की ₹2,49,653 भी ली गई जबकि रोकड़ के अनुसार माह में मार्किट फीस के रूप में केवल ₹2,23,157 वसूली की गई थी। इस प्रकार अधिक आय दर्शाने के कारण ₹26,498 का 25% भाग अर्थात ₹6,625 का अधिक अंशदान जमा करवाया गया, जिन्हें नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा राशि का समायोजन करके की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 दण्ड के रूप मे भुगतान की गई ₹2,777 के सन्दर्भ में

(क) वाऊचर संख्याः 200, माह 3/2014 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को कार्यालय विद्युत बिल के भुगतान के रूप मे कुल ₹9,546 का भुगतान किया गया। जाँच में पाया गया कि इस बिल का समय पर भुगतान न करने के कारण अधिभार के रूप में ₹177 का भी भुगतान किया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इस राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) मण्डी समिति द्वारा विलम्ब से आयकर रिटर्न फाईल करने के कारण आयकर विभाग द्वारा धारा 234(ई) के अन्तर्गत लगाये गए दण्ड की ₹2600 को भुगतान वाऊचर संख्याः 238, माह 3/2015 के अन्तर्गत स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया–चम्बा में जमा करवाया गया, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा नियमानुसार इस भुगतान को उचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

17 स्थापना

(क) प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश मण्डी बोर्ड के आदेश संख्याः H.H.B(B)2-21/99-Vol-XIII-2942, दिनांक 5.7.2014 के अन्तर्गत श्री नरेश कुमार सुपुत्र श्री गरजा राम को दैनिक भोगी कर्मचारी से लिपिक के पद पर स्थाई किया गया। इन आदेशों में अन्य शर्तों के अतिरिक्त क्रम संख्याः 13 में यह शर्त लगाई गई कि लिपिक को 6 माह के अन्दर इंग्लिश व हिन्दी की टाईप का 30 व 25 शब्द प्रति मिनट आधार पर टाईप टैस्ट पास करना होगा। यह शर्त स्थाई करने की एक अनिवार्य शर्त है तथा अगर कर्मचारी द्वारा यह टैस्ट पास नहीं किया जाता है तो स्थाई सेवाएं करने हेतु दी गई यह offer स्वयतः अपने आप वापिस ली गईं रद्द समझी जाएगी। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि श्री नरेश कुमार द्वारा कोई टाईप टैस्ट पास नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त वर्णित शर्त के अनुसार दिनांक 5.1.2015 (छः माह बाद) के पश्चात वह स्थाई कर्मचारी के रूप मे कार्य करने हेतु सक्षम नहीं थे, परन्तु मार्किट कमेटी द्वारा उन्हें स्थाई कर्मचारी के रूप में ही नियुक्त रखा गया है। अतः इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(ख) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा 5.1.2011 से श्रीमती दूली देवी को ₹2700 प्रति माह की दर से बिल के आधार पर ठेके पर मार्किट यार्ड व कार्यालय में सफाई कार्य पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 9.8.2013 को उनका अचानक स्वर्गवास हो जाने के कारण कमेटी द्वारा अपने प्रस्ताव संख्याः (9)(13), दिनांक 12.8.2013 के अन्तर्गत स्व0 श्रीमति दुली देवी की परिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवार के एक सदस्य को पुरानी शर्तों पर उनके स्थान पर नियुक्त करने की सहमति प्रदान की गई तथा साथ में भुगतान योग्य राशि में यथा सम्भव बढ़ोतरी हेतु भी प्रस्ताव पारित किया गया, तदानुसार श्रीमति दुली देवी को पुत्री पानो देवी द्वारा 17.8.2013 से अपनी माता के स्थान पर कार्य आरम्भ किया गया। जाँच में पाया गया कि दिनांक 17.8.2013 से पानो देवी को ₹3500 प्रति माह भुगतान किया जा रहा है, जबकि इस सम्बन्ध मे किसी भी सक्षम अधिकारी के आदेश व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। अतः जिन आदेशों के अन्तर्गत पानो देवी को ₹2700 प्रति माह के स्थान पर बढ़ौतरी कर ₹3500 प्रति माह की दर पर

भुगतान किया गया है, उन्हें आगामी अंकेक्षण में दर्शा कर किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए।

(ग) वाऊचर संख्याः 126, दिनांक 15.10.2011 के अन्तर्गत समिति के कर्मचारियों को दिनांक 1.1.2006 से 31.8.2009 के संशोधित वेतनमान की बकाया राशि की तीसरी किश्त का भुगतान किया गया। इस किश्त के भुगतान करने की स्वीकृति पत्र संख्या फिन(पी0आर0)बी(7)–1/2009–11–लूज़, दिनांक 24.9.2011 द्वारा प्रदान की गई, जिसके अनुसार जिन कर्मचारियों की कुल बकाया ₹70,000 या उससे कम है उन्हें शेष बकाया राशि का पूर्ण भुगतान तथा उससे अधिक कुल बकाया राशि वाले कर्मचारियों को उनकी कुल बकाया राशि के 10% का भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि निम्न वर्णित कर्मचारियों को उनके कुल संशोधित वेतनमान की बकाया राशि की गलत/अधिक गणना के कारण उन्हें कुल ₹3,666 का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक किए गए भुगतान की वसूली करके व समिति के कोष में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

कर्मचारी का नाम	राशि जिस पर किश्त का भुगतान किया गया	भुगतान की गई किश्त की राशि व सी0पी0एफ0 अंशदान	1.1.09 व 1.7.10 में भुगतान की गई डी0ए0 किश्तों के समायोजन उपरान्त नियमानुसार देय कुल बकाया राशि	नियमानुसार देय किश्त की राशि व सी0पी0एफ0 अंशदान	अधिक भुगतान की गई राशि
श्री गुरनाम सिंह (मार्किट सुपरिटैंडेंट)	₹1,09,329	₹10933 + ₹1093 **₹12026**	₹1,01,193	₹10,119 + ₹1012 **₹11,131**	₹895
श्रीमती इन्दिरा प्लाह (वरिष्ठ सहायक)	₹1,17,349	राशि 11735 + ₹1173 **₹12026**	₹92,152	₹9215 + ₹922 **₹10137**	₹2771

18 चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के रूप में ₹4060 का गलत/अधिक भुगतान करने के सन्दर्भ में

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार नियमानुसार देय भुगतान न करके कुल ₹4060 का अधिक/गलत भुगतान किया गया है, जिसे नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा इस राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(क) वाऊचर संख्याः 33, दिनांक 27.5.2013 के अन्तर्गत श्री रोशन लाल को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में कुल ₹9197 का भुगतान किया गया, जिससे उनके द्वारा कुल्लू वैली हॉसपिटल में ली गई चिकित्सा के बिल की ₹2844 की प्रतिपूर्ति भी की गई, जबकि यह चिकित्सालय सहकारी कर्मचारियों की चिकित्सा हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है।

(ख) वाऊचर संख्याः 121, माह 10/2011 के अन्तर्गत श्री रोशन लाल (सेवादार) को दिनांक 8.8.2011 से आयुर्वेदिक चिकित्सालय में ली गई चिकित्सा हेतु ₹596 की प्रतिपूर्ति की गई। इस भुगतान में श्री रोशन लाल को मैं0 एस0जी0 आयुर्वेदिक स्टोर से किए गए सिरप Livozyme की प्रतिपूर्ती भी की, जबकि चिकित्सा प्रतिपूर्ती नियमों के अन्तर्गत यह देय नहीं है।

कैश मिमो संख्या	दिनांक	मात्रा	राशि
1291	8.8.2011	2 बोतल	152
1371	26.8.2011	1 बोतल	76
1279	3.9.2011	1 बोतल	76
1339	10.9.2011	1 बोतल	76
1343	16.9.2011	1 बोतल	78
1354	23.9.2011	1 बोतल	78
			योग 536

(ग) श्रीमती इन्दिरा प्लाह (कनिष्ठ सहायक) को समय–समय पर उनसे पुत्र की चिकित्सा पर किए गए व्यय के प्रतिपूर्ति बिलों से आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा अनुमोदित निम्न वर्णित दवाईयों की प्रतिपूर्ती भी की गई, जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के अन्तर्गत देय नहीं है जिसे नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी प्रतिपूर्ती उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

वाऊचर संख्या	माह	दवाई का नाम	बिल का विवरण	राशि
122	10/2011	Syp Tolekt	कैश मिमो संख्या 1359, दिनांक 23.9.2011	50
		Chariro		50
		Qintment		160
		Hairqone Spray		
		Trichup Hair Oil	कैश मिमो संख्या 1322, दिनांक 29.8.2011	100
		Tolekt		55
131	10/2011	Syp Tolekt	कैश मिमो संख्या 1373 दिनांक 6.10.2011	55
		Coladine Ont		50
		Hairqone Spray		160
			योग	**680**

19 मैं0 विवेक आर्ट स्टूडियो को बोर्ड बनवाने हेतु किए गए ₹3440 के भुगतान के बारे में

वाऊचर संख्याः 212, दिनांक 29.3.2014 द्वारा मैं0 विवेक आर्ट स्टूडियो को बोर्ड बनाने पर ₹3440 का भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

बिल संख्या	दिनांक	विवरण	राशि
1319	28.3.14	1 No. R.T.I. Board 5sqft @ 80	800
		3 No. Flex 1sq pipe 4'x3' @ Rs. 40 per sqft.	1440
1318	25.3.2014	2 No. Flex Banner Printing 10'x3' @ 20 per sq.ft.	1200

(क) उक्त विवरणानुसार क्रम संख्या 1 पर 5 sq feet के R.T.I. Board की खरीद ₹80 प्रति वर्ग फीट की दर पर केवल ₹400 का भुगतान बनता था जबकि भुगतान ₹800 का किया गया है। अतः ₹400 की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश वित नियम 2009 की धारा 100 के अनुसार कोडल औपचारिकताओं को पूर्ण करने से बचने हेतु छोटे–छोटे बिलों में बांट कर खरीद/कार्य के करवाने पर रोक है जबकि विभाग द्वारा कोडल औपचारिकताओं को पूर्ण करने से बचने हेतु उक्त वर्णित कार्य दो बिलों में बांटा गया है।

(ग) इस खरीद में जो Flex Board व बैनर खरीदे/बनवाए गए, उनकी विषयवस्तु के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है कि इनके कहां प्रयोग में लाया गया है। अतः इससे सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शाकर की गई खरीद व भुगतान को उचित ठहराया जाए।

20 वाहन

मण्डी समिति के वाहन की लॉग बुक की जांच करने पर निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई, जिनका निपटारा कर की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) लॉग बुक की जाँच में पाया गया कि गाड़ी द्वारा प्रत्येक माह 8 किलोमीटर प्रति लीटर से लेकर 8.33 किलो मीटर प्रति लीटर की औसत पर यात्रा की गई दर्शाई गई है, परन्तु गाड़ी की औसत का निर्धारण किसी तकनीकी अधिकारी से नहीं करवाया गया है। अतः गाड़ी द्वारा दर्शाई जा रही तेल की खपत को उचित ठहराने हेतु अविलम्ब हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग अथवा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के तकनीकी अधिकारी से गाड़ी की औसत का निर्धारण करवाया जाए।

(ख) लॉग बुक की जांच में पाया गया कि गाड़ी द्वारा दिनांक 1.6.2011 से 30.9.2011 के दौरान कुल 3020 किलोमीटर यात्रा की गई तथा जिस हेतु 8.33 किलोमीटर प्रति लीटर की औसत पर कुल 362.75 लीटर तेल की खरीद व खपत दर्शाई गई है, जबकि उस अवधि में कुल 368.17 लीटर तेल की खरीद की गई थी। अतः 5.42 लीटर तेल की ₹69 रुपये 33 पैसे प्रति लीटर की दर से ₹375.22 की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि माह 1/2011 में गाड़ी में शेश 5 लीटर तेल तथा दिनांक 28.5.2011 को गाड़ी में अन्तशेष तेल 27.41 लीटर दर्शाया गया था, परन्तु आगामी माह में न तो इस तेल की गणना की गई और न ही इसकी खपत दर्शाई गई, जिसके कारण स्पष्ट किए जाऐं तथा इस प्रकरण में उचित कार्रवाई अमल में लाकर की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 अन्य

(क) वाऊचर संख्याः 247, दिनांक 27.3.2015 के अन्तर्गत श्री महिन्द्र सिंह, मण्डी निरिक्षक को किसानों के लिए एक प्रशिक्षण शिवर आयोजित करने हेतु ₹50,000 अग्रधन के रूपे में दिए गए। जांच में पाया गया कि इस राशि का समायोजन खाता उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसे अविलम्ब प्राप्त करके तथा राशि का समायोजन करके की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) वाऊचर संख्याः 106, माह 10/2011 के अन्तर्गत समिति वाहन के चालक श्री संजय कुमार को गाड़ी में तेल इत्यादि डालने हेतु ₹5000 अग्रधन के रूप में प्रदान किए गए, परन्तु इस राशि के समायोजन सम्बन्धित बिल वाऊचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करके किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए।

(ग) मण्डी समिति द्वारा समय–समय पर क्रय किए गए सामान से सम्बन्धित स्टॉक की जाँच करने पर पाया गया कि क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियां स्टॉक में करते समय केवल मात्र आपूर्ति कर्ता का नाम, बिल संख्या तथा राशि का ईन्द्राज किया गया है। इसके अतिरिक्त न तो क्रय किए गए सामान का विवरण दिया गया है और न ही प्रयोग सम्बन्धित कोई विवरण स्टॉक में दिया गया है, जबकि नियमानुसार क्रय किए गए सामान का पूर्ण विवरण प्रत्येक मदानुसार देकर खपत का विवरण भी दिया जाना अपेक्षित था। अतः नियमानुसार स्टॉक इन्द्राज न लेने का कारण

स्पष्ट किया जाए, स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करके तथा इसका मदानुसार इन्द्राज करके भविष्य में भी प्रत्येक क्रय की मद का मदानुसार इन्द्राज करके, इनकी प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया जाए व की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 **लघु आपत्ति विवरणिका** :– यह अलग से जारी नहीं की गई।

23 **निष्कर्ष** :– लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)45 / 90–खण्ड–3–1946–48 दिनांकः01.04.16 शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1. सचिव, कृषि उपज विपणन समिति चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

2. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विपणन भवन, खलीनी, शिमला–171002

3. विशेष सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पैरा 1(ख) में वर्णित परिशिष्ट–''क''

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त निपटारे हेतु बकाया पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2004

1	पैरा 9	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2007

1	पैरा 7	निर्णीत	(दिये गए उत्तर व कम्पनी की मूल्य सूची के सत्यापन उपरान्त)
2	पैरा 8	अनिर्णीत	
3	पैरा 9	अनिर्णीत	
4	पैरा 10(क)(ख)	निर्णीत	(₹2419 रसीद संख्या 2298/01, दिनांक 11.9.2014 के अन्तर्गत समिति कोष मे जमा करवाने के उपरान्त)
5	पैरा 11	अनिर्णीत	
6	पैरा 12	आंशिक निर्णीत	
7	पैरा 13	अनिर्णीत	
8	पैरा 16	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा 12	अनिर्णीत
2	पैरा 14	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011

1	पैरा 4	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने के दृष्टिगत)
2	पैरा 5	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
3	पैरा 6	निर्णीत	(₹1750 दिनांक 8.3.2010 को तथा ₹800 दिनांक 10.3.2010 को जमा करवाने के उपरान्त)
4	पैरा 7	निर्णीत	(₹1680 दिनांक 5.10.2015 को समिति कोष मे रसीद 2298104 द्वारा जमा

			करवाने के उपरान्त)
5	पैरा 8	निर्णीत	(राशि ₹5700 रसीद संख्या 22981007, दिनांक 5.10.2015 द्वारा समिति कोष में जमा करवाने उपरान्त)
6	पैरा 9	अनिर्णीत	
7	पैरा 10(क)(ख)	निर्णीत	(₹3180 रसीद संख्या 2081/54 दिनांक 4.4.2012 के अन्तर्गत समिति कोष में जमा करवाये जाने के उपरान्त)
8	पैरा 11	निर्णीत	(प्रबन्ध निदेशक, हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला(2) के आदेश सं0 एच0एम0बी0/1–57/97–954 दिनांक 21.2.13 के अनुसार तथा शेष ₹4053 चैक नं0 197612 दिनांक 12.2.2013 द्वारा जमा करवाने के उपरान्त)
9	पैरा 12	अनिर्णीत	
10	पैरा 13(क)(ख)	निर्णीत	
11	पैरा 14	अनिर्णीत	
12	पैरा 15	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

प्रारम्भिक शेष	**23**
वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाए गए पैरे	**(+) 19**
वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत किए गए पैरे	**(–) 10**
अन्तरिक अन्तशेष (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2015 तक)	**32**